पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 5012 /अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 28/11/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '93वाँ' बैठक गुरूवार दिनांक 28.11.2024 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

1. श्री पुरन्दर मिश्रा – सदस्य
2. श्री मोतीलाल साहू – सदस्य
3. श्री गुरु खुशवंत साहेब – सदस्य
4. श्री रोहित साहू – सदस्य
5. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online) – सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी – सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल – सदस्य
8. डॉ. रोहिणी प्रसाद – सदस्य
9. डॉ. कल्लोल कुमार घोष (Online) – सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे – सदस्य
11. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स – सदस्य
12. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा – सदस्य
13. डॉ. मेघेश तिवारी – सदस्य
14. डॉ. गिरीश चंदेल (Online) – सदस्य
15. डॉ. बिजयानंद सिंह – सदस्य
16. श्री आनन्द मिश्रा, उपसचिव, वित्त – सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य–</u> श्री योगेश्वर राजू सिन्हा

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.10.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

<u>पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

2. प्रिन्टेड पुस्तकों की क्रय आपूर्ति/प्रदायता के लिए अनुबंधित फर्मो को राशि रुपए 13,11,022.00 (रुपए तेरह लाख ग्यारह हजार बाईस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पुस्तकें आपूर्ति करने के पश्चात् भुगतान किये जाने वाले राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	फर्म का नाम	राशि (अंको में)
1.	Metro Book Pvt. Ltd., New Delhi	रु. 2,56,974.00
2.	Rishabh Books, New Delhi	रु. 2,10,630.00
3.	Aadi Books, Delhi	रु. 1,82,057.00
4.	Indica Publishers & Distributors Pvt. Ltd., New Delhi	रु. 1,93,577.00
5.	Arvind Prakashan, Udaipur	रु. 4,67,784.00
	Total	**रु. 13,11,022.00**

उपरोक्त फर्मों को कार्यपरिषद् द्वारा कुल राशि रुपए 13,11,022.00 (रुपए तेरह लाख ग्यारह हजार बाईस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. श्री विजय कुमार यादव, भृत्य, रसायन अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,33,614.00 (रुपए पाँच लाख तैंतीस हजार छः सौ चौदह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

4. विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नगदीकरण (सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान) के अंतर की राशि रु. 33,74,606.00 (रुपए तैंतीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ छः मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. श्री रमेश भगत, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रु. 6,00,000.00 (रुपए छः लाख मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 18.07.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

7. ट्रैकसूट क्रय देयक रु. 10,07,370.00 (रुपए दस लाख सात हजार तीन सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए 1230 नग ट्रैकसूट क्रय हेतु निविदा के माध्यम से न्यूनतम दर के आधार पर फर्म New-Way Tailors & Fabrics, Beside Raj Talkies, G.E. Road, Raipur (C.G.) के द्वारा सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् देयक क्र. 135 दिनांक 14.10.2024 के द्वारा रु. 10,07,370.00 (रुपए दस लाख सात हजार तीन सौ सत्तर मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त सामग्री विकास विभाग के द्वारा शारीरिक शिक्षा विभाग के मांग अनुसार आबंटित किया गया है। कार्यपरिषद् द्वारा संबंधित फर्म को रु. 10,07,370.00 (रुपए दस लाख सात हजार तीन सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत वेतन निर्धारण संशोधन उपरांत एरियर्स कुल राशि रु. 18,67,758.00 (रुपए अठारह लाख सड़सठ हजार सात सौ अंठावन मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. अंकसूची/उपाधि प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निःशुल्क सत्यापित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः केन्द्र सरकार व राज्य शासन के द्वारा पुलिस जाँच से संबंधित अंकसूची/उपाधि प्रमाण–पत्रों के निःशुल्क जाँच करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.10.2024 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 05, 06, 07, 08, 12 व अध्यक्ष की अनुमति बिन्दु क्रमांक 01 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत फर्म M/S Anson Inc Research remedies, Navi Mumbai से खरीदे गए उपकरण 1600^{0}C Tubular Furnace का कुल राशि (GST सहित) रु. 26,25,500=00 (रुपए छब्बीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ मात्र) भुगतान Tube Furnace के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण SEM with EDS के AMC एवं lab prerequisites के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145 दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण SEM (HITACHI MAKE FLEXSEM 1000 II WITH OXFORD EDS SYSTEM WITH OTHER ACCESSORIES) के AMC एवं lab prerequisites supply हेतु भुगतान की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	उपकरण/कार्य का नाम	फर्म	Amount to be paid
1	Lab Requisites (Accessories)	M/s SAANS Analytical Instruments Pvt. Ltd., Kolkata	Rs. 11,26,900=00
2	AMC	M/s SAANS Analytical Instruments Pvt. Ltd., Kolkata	Rs. 3,30,400=00
3	Lab Requisites	M/s Duttco Instruments, Howrah, W.B.	Rs. 10,32,500=00

उपरोक्त फर्मों को कार्यपरिषद् द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. DST,नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण FTIR/Imaging Spectrometer के AMC एवं lab prerequisites के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145 दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण FTIR/Imaging Spectrometer के AMC एवं lab prerequisites supply हेतु भुगतान की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	उपकरण/कार्य का नाम	फर्म	Amount to be paid
1	AMC	M/s Thermo Fisher Scientific India Pvt. Ltd, Mayashree Logistics Centre, Bhiwandi- Distt Thane, MH	Rs. 2,12,400=00
2	Lab Requisites	M/s Duttco Instruments, Howrah, W.B.	Rs. 9,61,700=00

उपरोक्त फर्मों को कार्यपरिषद् द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में 15 शैक्षणिक एवं 16 अशैक्षणिक पदों के सृजन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम निम्नांकित पदों के मानदेय निर्धारण के संबंध में विचार करना।

1. सहायक प्राध्यापक (अंशकालीन)
2. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)
3. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)
4. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)
5. फिजियोथेरेपिस्ट (अंशकालीन)
6. योग प्रशिक्षक (अंशकालीन)

निर्णयः **कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के प्रस्तावानुसार उक्त पदों पर शासन की "अतिथि व्याख्याता नीति 2024" के समतुल्य मानदेय निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया।**

6. विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 1089/820/2024/38–2 दिनांक 23.07.2024 द्वारा प्रथम चरण में 60 पद + द्वितीय चरण में 60 पद इस प्रकार कुल 120 पदों पर भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में कुल 60 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 दिनांक 03.10.2024 जारी किया गया है एवं 60 पदों का विज्ञापन किया जाना शेष है।**

विश्वविद्यालय द्वारा गठित रोस्टर समिति द्वारा दिनांक 01.07.2023 की स्थिति में शैक्षणिक रिक्त पदों हेतु विश्वविद्यालय को एक युनिट मानते हुए रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है। उक्त रोस्टर में से विज्ञापित पदों को छोड़कर शेष 54 (प्रोफेसर 08 + एसोसिएट प्रोफेसर 15 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 31) के विरूद्ध उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन की स्वीकृति एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर द्वितीय चरण में कुल 51 पदों (प्रोफेसर 08 + एसोसिएट प्रोफेसर 12 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 31) के लिए प्रस्तावित विज्ञापन से संबंधित विवरण निम्नानुसार है –

No.	Name of the Department	Name, Number and category of Post		
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor
01	Geography	-	2 (UR, ST)	3 (UR, ST, OBC)
02	Socilogy & Social Work	-	1 (OBC)	-
03	Anthropology	1 (UR)	-	3 (ST, SC, UR)
04	Literature & Language	1 (ST)	-	2 (ST, UR)
05	Economics		-	1 (OBC)
06	Physics & Astrophysics	1 (UR)	1(SC)	2 (UR, ST)
07	Mathematics	1 (ST)	-	2 (SC, UR)
08	Statistics	-	2 (UR, ST)	1 (ST)
09	Chemistry	-	1 (OBC)	1 (ST)
10	Geology	-	1 (UR)	2 (UR Geology, UR Gemology)
11	Philosophy & Yoga	-	-	1 (ST)
12	Life-Science	-	1 (UR)	2 (ST Bio Science, ST Bio-Chem.)

13		Environment Science	-	-	3 (UR, ST, SC)
14		Centre for Basic Science	-		
	1	Physics	1 (SC)	-	2 (UR, ST)
	2	Chemistry	1 (UR)	1 (UR)	2 (OBC, UR)
	3	Mathematics	1 (ST)	1 (OBC)	2 (ST, UR)
	4	Biology	1 (UR)	1 (UR)	2 (SC, ST)
		Total :-	**08**	**12**	**31**

कार्यपरिषद् द्वारा उपरोक्तानुसार रिक्त 51 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. शैक्षणिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर दिनांक 03.10.2024 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के 480 डी.डी. (Demand Draft) में से 21 डी.डी. (Demand Draft) में आवेदकों द्वारा कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के स्थान पर अन्य नाम से डी.डी. बनाकर जमा किये गये आवेदन पर विचार करना।

निर्णयः **निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उक्त 21 आवेदन पत्र प्रेषित करने वाले आवेदकों द्वारा कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के स्थान पर अन्य नाम से संलग्न डी.डी. (Demand Draft) को वापस करते हुए उसके स्थान पर एक निश्चित तिथि तक कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से डी.डी. (Demand Draft) जमा कराए जाने का अवसर प्रदान किए जाने का निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।**

सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक प्रकोष्ठ) से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. भू–अर्जन मामले में माननीय चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर में पुनर्विलोकन याचिका खारिज होने के संबंध में।

निर्णयः **चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर में प्रस्तुत भू–अर्जन प्रकरण (प्रकरण संख्या 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022. 11/2022, 12/2022, 13/2022, 14/2022, 16/2022, 16/2022, 17/2022 18/2022, 19/2022, 20/2022. 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 32/2022 33/2022, 34/2022) में आदेश क्रमांकः 07/2022. दिनांक–28–08–2024 को विश्वविद्यालय के पक्ष से संबंधित याचिका खारिज हो गई है। उक्त निर्णय को मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में चुनौती देने की संभावना के लिए विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया। अधिवक्ता के विधिक अभिमत के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने से कोई व्यावहारिक लाभ होने की संभावना नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में प्रदान की गई मुआवजे संबंधी कुल राशि रू. 14,57,18,158/– का भुगतान चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में चर्चा के उपरांत पुनर्विलोकन याचिका खारिज होने संबंधी सूचना उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किए जाने का निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया।**

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पश्चात कार्य सत्र 2023–24 का देयक राशि रू. 4,16,24,699.42 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, राँची (NCCF) को परीक्षा पश्चात कार्य की राशि रू. 4,16,24,699.42 (चार करोड़ सोलह लाख चौबीस हजार छः सौ निन्यानबे रूपये बयालिस पैसे मात्र) भुगतान करने की कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।**

10. 10 नग एल 2 Manageable Switch 24 Port क्रय हेतु राशि रू. 9,00,000=00 (रुपये नौ लाख मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद् द्वारा निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान की गई :–

i. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग/अध्ययनशाला में लगे 09 नग एल 2 Manageable Switch 24 Port खराब हो जाने के कारण एवं बैकअप में अतिरिक्त स्वीच नही होने के कारण 10 नग एल 2 Manageable Switch 24 Port कय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

ii. उक्त सामग्री छ.ग. भंडार कय नियम यथा संशोधित 2024 के अनुसार Government E-Marketplace (GeM Portal) के माध्यम से कय किया जाना है। उक्त सामग्री कय करने पर अनुमानित व्यय रू. 9,00,000=00 (रुपये नौ लाख मात्र) होने की संभावना है। जिसका भुगतान बजट C.VIII 3) Networking/Website/Wi-Fi/Equipment/Server Upgrade में प्रावधानित राशि रू. 80=00 लाख में से की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. शासकीय शिक्षकों को 7 वें वेतनमान के एरियर्स की केन्द्रांश 50 प्रतिशत राशि भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय के नियमित एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं समकक्ष कैडर को दिनांक 01.01.2016 से 31. 03.2019 तक की अवधि का 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर्स के राज्यांश राशि 50 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है । अग्रेतर विश्वविद्यालय से 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर्स की अवशेष 50 प्रतिश केन्द्रांश राशि विमुक्त करने हेतु पत्र क्रमांक 396 /वित्त /2024 दिनांक 25.10. 2024 छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर प्रेषित किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 2–1/2018/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.11.2024 प्राप्त हुआ है। छ.ग. शासन के पत्रानुसार विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि राजकीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की केन्द्रांश राशि का भुगतान हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में दी जा चुकी संबंधित वर्षों की अनुदान राशि से ही उक्त भुगतान का समायोजन किया जाना होगा।

तद्क्रम में शासन के पत्र दिनांक 25.11.2024 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के नियमित एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं समकक्ष कैडर को दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 तक की अवधि के 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर्स की शेष 50 प्रतिशत राशि रू. 3,65,86,733/– (तीन करोड पैसठ लाख छियासी हजार सात सौ तैतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति माननीय कार्यपरिषद् के द्वारा प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

12. एकीकृत परीक्षा भवन निर्माण के लिए अंतिम देयक के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः रूसा मद में प्राप्त अनुदान में राशि शेष नहीं बचने के कारण विश्वविद्यालय से लोक निर्माण विभाग, रायपुर को किये गये भुगतान राशि रु. 142.00 लाख में से निर्माण देयक रु. 15,12,845/– का भुगतान किया गया है। लंबित अंतिम देयक रु. 64,21,742/– भुगतान करने की अनुमति माननीय कार्यपरिषद् द्वारा प्रदान की गई।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. सत्र 2022–23 एवं 2023–24 में समस्त संबंधित परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय को वार्षिक /सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र शुल्क की राशि रू. 10000/– भुगतान की स्थिति के बारे में अवगत कराए जाने एवं भुगतान नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय कोष में राशि जमा कराने एवं पावती रसीद की अभिप्रमाणित प्रति/मूलप्रति परीक्षा विभाग के E-Mail: rsuexam@gmail.com के माध्यम से प्रेषित किये जाने संबंधी पत्र क्रमांक 11239/परीक्षा/ केन्द्र शु./2024 दिनांक 22.11.2024 जारी किया गया है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण की गई।**

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. सहायक आयुक्त, राज्यकर के पत्र क्रमांक /स.आ./राक/रा–एक/प्रवर्तन अन्य/2/2024–25/ 2875 रायपुर दिनांक 21.10.2024 के द्वारा विभिन्न कॉलेजों से प्राप्त की गई सम्बद्धता शुल्क (Affiliation fees) पर दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2024 तक जी.एस.टी. का भुगतान के प्रकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **सहायक आयुक्त, राज्यकर के पत्र क्रमांक /स.आ./राक/रा–एक/प्रवर्तन अन्य/2/2024–25/ 2875 रायपुर दिनांक 21.10.2024 के द्वारा विभिन्न कॉलेजों से प्राप्त की गई सम्बद्धता शुल्क (Affiliation fees) पर जी.एस.टी. का भुगतान करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों से प्राप्त राशि व जी.एस.टी. कार्यालय द्वारा मांग की जा रही राशि की जानकारी निम्नानुसार है –**

क्र.	अवधि	वि.वि. द्वारा महा. से प्राप्त राशि	जीएसटी कार्यालय द्वारा मांग राशि
1	01.07.2017 से 31.03.2018	46,02,040/–	25,95,902/–
2	01.04.2018 से 31.03.2019	48,42,850/–	25,78,268/–
3	01.04.2019 से 31.03.2020	49,69,400/–	24,84,188/–
4	01.04.2020 से 31.03.2021	50,77,870/–	23,75,888/–
5	01.04.2021 से 31.03.2022	51,77,200/–	22,52,584/–
6	01.04.2022 से 31.03.2023	53,76,060/–	21,64,922/–
7	01.04.2023 से 31.03.2024	55,50,700/–	20,54,914/–
	कुल राशि	**3,55,96,120/–**	**1,65,04,666/–**

विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त किए गए संबद्धता शुल्क (Affiliation Fees) पर जी.एस.टी. का भुगतान करने हेतु महाविद्यालयों को मॉंग राशि जमा करने हेतु पत्र प्रेषित कर राशि जमा होने पर जी.एस.टी. भुगतान करने की अनुमति कार्यपरिषद् द्वारा प्रदान की गई।

साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला में स्थापित संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केन्द्र के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली (NCPSL) द्वारा दिए गए कारपस फंड में से दैनन्दिन विभागीय खर्च हेतु इम्प्रेस्ट राशि रूपये 10,000/– (रुपए दस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

16. डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रिड़ा अधिकारी के प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के दो अधिवक्ताओं, श्री नीरज चौबे एवं श्री अविनाश मिश्रा से प्राप्त बंद लिफाफा के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.10.2024 के बिन्दु क्रमांक 08 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित संक्षेपिका सहित दो पृथक–पृथक अधिवक्ताओं के विधिक अभिमत के बंद लिफाफे पर विचार हेतु पुनः प्रस्तुत।

निर्णयः **कुलसचिव द्वारा डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा सेवानिवृत्त क्रिड़ा अधिकारी के प्रकरण से संबंधित संक्षेपिका कार्यपरिषद् के पटल पर प्रस्तुत की गई। तदोपरांत समस्त सदस्यों की सहमति से कार्यपरिषद् दिनांक 12.06.2024 के निर्णय के क्रम में प्रकरण के संबंध में दो पृथक–पृथक अधिवक्ताओं से प्राप्त सील बंद लिफाफों को खोलकर विधिक अभिमत को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण विषय पर समग्रता से विचार–विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से कार्यपरिषद् ने निम्नांकित निर्णय लिया –**

डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा से संबंधित प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से प्राप्त विधिक अभिमत, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत संक्षेपिका, मान. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 3078/2004 में दिनांक 12.05.2011 को प्रदान किए गए निर्णय तथा उक्त याचिका सहित Contempt Case No. 144/2007 में विश्वविद्यालय के तत्कालीन OIC और तत्कालीन कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा को दिनांक 29.08.2004 से 07.07.2011 तक की प्रश्नगत् अवधि में विश्वविद्यालय से वेतन आहरण/भुगतान की पात्रता नहीं बनती है।

कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से यह भी निर्देश प्रदान किया कि प्रकरण से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न करते हुए उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को कार्यपरिषद् के उक्त निर्णय से अवगत् कराने संबंधी पत्र प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि राजभवन को भी प्रेषित की जाए।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.11.2024 के बिंदु क्रमांक 05 में पी–एच.डी. हेतु संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 (As per UGC Regulation 2022) DOCTOR OF PHILOSOPHY के कंडिका क्रमांक – 5(C) में संशोधन किये जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 (As per UGC Regulation 2022) DOCTOR OF PHILOSOPHY के कंडिका क्रमांक – 5(C) में संशोधन किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

02. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.11.2024 के बिंदु क्रमांक 06 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू द्विवार्षिक प्रवेश (Biannual Admission) के संबंध में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 641/203/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 10.10.2024 के संबंध में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 641/203/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 10.10.2024 द्विवार्षिक प्रवेश (Biannual Admission) लागू किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना पत्र क्र. F. 1-2/2024 (CPP-II) (C.No. 143903) 19th June, 2024 के संबंध में विषय में रिक्त सीट, पाठ्यक्रम, नये अध्यादेश व विनियम, शिक्षकों की संख्या तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

03. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.11.2024 के बिंदु क्रमांक 07 – Prof. Nitin Chattopadhyay, Professor, Department of Chemistry & Former Dean, Faculty of Science, Jadhavpur University, Kolkata को रसायन अध्ययनशाला में Visiting Professor के रूप में नियुक्त किये जाने के संबंध में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः विनियम 214 के अनुक्रम में दिनांक 25.11.2024 को Screening /Expert Committee की बैठक में लिये गए निर्णय के क्रम में Prof. Nitin Chattopadhyay, Professor, Department of Chemistry & Former Dean, Faculty of Science, Jadhavpur University, Kolkata को 1 वर्ष के लिये रसायन अध्ययनशाला में Visiting Professor के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.11.2024 के बिंदु क्रमांक 08 – Devi Ahilya Bai Financial Aid Policy for the UTD Students of PRSU, (Establishment and its Disbursement Rule) के ड्राफ्ट के संबंध में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए योजना को सत्र 2025–26 से लागू करने की अनुशंसा की गई तथा विस्तृत पॉलिसी ड्राफ्ट को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया।

05. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.11.2024 के बिंदु क्रमांक 12 – खोमेश्वर साहू, योगेश्वर कुमार साहू एस.आर.एफ. शोध छात्र दर्शनशास्त्र तथा अखिलेश्वर कुमार यादव, शोध छात्र, आरती गजेन्द्र, शोध छात्रा के आवेदनों पर ग्रीवेंस कमेटी के अभिमत के संबंध में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला में अध्ययनरत शोध छात्रों खोमेश्वर साहू, योगेश्वर कुमार साहू, अखिलेश्वर कुमार यादव, आरती गजेन्द्र के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर ग्रीवेंस कमेटी की अनुशंसा अनुसार छात्रहित में संबंधित शोध केन्द्र सहित इस शोध केन्द्र के समस्त शोध छात्रों को अंतरिम रूप से अथवा इस संबंध में अग्रिम आदेश तक क्षेत्रीय अध्ययनशाला शोध केन्द्र से संबद्ध किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

06. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.11.2024 के अध्यक्ष की अनुमति से बिंदु क्रमांक 1 – समाजकार्य (Social Work) विषय में पी–एच.डी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः समाजकार्य (Social Work) विषय में पी–एच.डी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर विचार करते हुए छात्रहित में तथा शोध परिधि के विस्तारीकरण की दृष्टि से शोधकार्य हेतु समाजकार्य (Social Work) को समाजशास्त्र शोध केन्द्र तथा समान प्रकृति के संदर्भ के कारण लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान शोध केन्द्र के अंतर्गत अंतरिम रूप से संबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गई। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक मान्य होगी जब तक संबंधित विषयों के पृथक से अध्ययन मण्डल, शोध केन्द्र तथा शोध निर्देशक की स्थापना/नियुक्ति नहीं हो जाती।

चूंकि समाजकार्य विषय को समाजशास्त्र तथा लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का सहबद्ध विषय माना जाता है। अतः इन विषयों में शोध निर्देशक नियुक्ति तथा अध्ययन मण्डल/शोध केन्द्र निर्धारण तक अथवा अग्रेतर आदेश तक समाजशास्त्र के मान्य शोध निर्देशक समाजकार्य में तथा राजनीति विज्ञान के मान्य शोध निर्देशक लोक प्रशासन में शोध कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे।

तत्संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की उपरोक्त अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

07. Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" तथा Selection Committee की बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के स्तरोन्नयन के संबंध में 04 बंद लिफाफों को खोले जाने बाबत्।

निर्णयः कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्यों की सहमति प्राप्त करते हुए कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" तथा Selection Committee की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के स्तरोन्नयन के संबंध में बंद लिफाफों को खोला गया। संबंधित विवरण निम्नानुसार है –

S. No.	Name of Candidate	Current Academic Level	Recommended Academic Level from the Committee	Date of Selection Committee/ Screening-Cum-Evaluation Committee Meeting	Date of Eligibity (w.e.f.) for promotion	SoS/ Department
1.	Dr. Gopal Krishna Deshmukh	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	13.11.2024	02.09.2020	Institute of Management
2.	Dr. Vinod Kumar Patle	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	07.11.2024	13.10.2021	Computer Science & IT
3.	Dr. Sanskriti Joseph	Asst. Professor AL-12	Associate Professor AL-13A	13.11.2024	02.09.2017	Institute of Management
4.	Susheel Kumar Indurkar	Asst. Professor AL-11	Asst. Professor AL-12	13.11.2024	02.09.2015	Institute of Management

तद्नुसार कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए –

(1) क्रमांक–1 से 2 पर अंकित डॉ. गोपाल कृष्ण देशमुख तथा डॉ. विनोद कुमार पटले के स्तरोन्नयन के संबंध में आयोजित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर सर्वसम्मति से इनके स्तरोन्नयन किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(2) क्रमांक–3 से 4 पर अंकित डॉ. संस्कृति जोसेफ तथा सुशील कुमार इंदुरकर के संदर्भ में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इनसे संबंधित जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन की प्रक्रिया प्रमाणिकता के साथ पूर्ण होने तक "Screening-Cum-Evaluation Committee" की अनुशंसा पर अग्रेतर कार्यवाही स्थगित रखी जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

28/11/24

कुलपति
अध्यक्ष

28/11/24

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 5013 /अका./का.प/2024 **रायपुर, दिनांक 28 /11/2024**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)